भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2433

(जिसका उत्तर मंगलवार, 11 अगस्त, 2015 को दिया गया)

<u>कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत कार्यकलापों की निगरानी</u>

2433. श्री प्रभात झा :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान कंपनी कानून के तहत मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को अपने तीन साल के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सी एस आर) गतिविधियों के लिए खर्च करना अनिवार्य है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या मुनाफा कमाने वाली कंपनियों द्वारा इस कानून का शत-प्रतिशत पालन करते हुए कारपोरेट सामाजिक दायित्व कोष में योगदान किया जा रहा है और क्या इसकी नियमित निगरानी की जा रही है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) और (ख): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत; न्यूनतम सीमा से अधिक लाभ कमाने वाली कंपनियों के लिए पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्राप्त किए गए उनके औसत निवल लाभ की कम से कम 2 प्रतिशत राशि सी एस आर कार्यकलापों पर खर्च करना या ऐसा न करने पर उसके कारण बताना अपेक्षित है। वर्ष 2014-15 विधान के अंतर्गत सी एस आर कार्यान्वयन का पहला वर्ष है। अत: अभी से इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अनुपालन का स्तर आंकना उचित नहीं होगा।

****